संख्या– ⁄ /XVIII(1)/2011–01/2006

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2011

विषय– तहसील चमोली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–26/18(1)/2006 दिनांक 03.02.2006, शासनादेश संख्या–26(2)/18(1)/2006 दिनांक 22.03.2006 एवं शासनादेश संख्या–288/18(1)/2006 दिनांक 14.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 230.90 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 115.00 लाख के व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 115.90 लाख के विरूद्ध श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010–2011 में तहसील चमोली के अनावासीय/कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार ₹ 92,37,651/–(रू0 बयानब्बे लाख सैतीस हजार छः सौ इक्यावन् मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1 प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही व्यय सीमित रखते हुए दिनांक 31.03.2011 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

2 उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड श्रीनगर इकाई–1 श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3 स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

4 स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5 धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6 कार्य सम्पादित करने आदि में अधिप्राप्ति कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

7 कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाये, जिसमें defect liability clouse का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय, यदि पूर्व में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित न किया गया हो तो अवशेष कार्य हेतु तत्काल एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

8 कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत में प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2011 तक कार्य पूर्ण कर भवन/परिसर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा, अग्रेत्तर किसी प्रकार/आधार पर आगणन पुनरीक्षित नही होगा।

9 स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन तृतीय पक्ष से कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–230P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दिनांक 29.03.2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 139 (1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. कोषाधिकारी, चमोली।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या– 139 /XVIII(1)/2011–01/2006 दिनांक 17 मार्च, 2011 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	कार्य की लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि (रू0 लाख में)	वर्ष 2010–11 में स्वीकृत की जा रही धनराशि (रूपये में)
1.	जनपद चमोली की तहसील चमोली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड श्रीनगर इकाई–1	230.90	115.00	92,37,651/–
	योग		230.90	115.00	92,37,651/–

(रू0 बयानब्बे लाख सेतीस हजार छः सौ इक्यावन् मात्र)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।